



2026:AHC:124269

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 18871/2026

रूपराम

....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....विपक्षी(गण)

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : ब्रजेश कुमार सोलंकी, सम्राट विक्रम सिंह
प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ब्रजेश कुमार सोलंकी तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री एस.डी. शुक्ला को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वाद अपराध संख्या 397 वर्ष 2024, धारा 352, 351(2) एवं 103 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, थाना दातागंज, जनपद बदायूँ में पंजीकृत वाद में विचारण की अवधि के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश पारित किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक को वर्तमान वाद में मिथ्या रूप से फँसाया गया है, जबकि उसके विरुद्ध कोई भी आपत्तिजनक अथवा अपराध से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दर्ज किए गए कथनों के आधार पर आवेदक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 358 के अंतर्गत विचारण का सामना करने हेतु तलब किया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम अंकित था, तथापि विवेचना के दौरान प्रस्तुत आरोप-पत्र में उसका नाम सम्मिलित नहीं किया गया। यह भी तर्क

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिया गया है कि सह-अभियुक्त महावीर एवं रामाशंकर को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा क्रमशः आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-9948 वर्ष 2025 एवं 13588 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 19.01.2026 के माध्यम से पूर्व में ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 21.04.2026 से निरंतर कारागार में निरुद्ध है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का किसी प्रकार का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का प्रबल विरोध करते हुए निवेदन किया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रारम्भ से ही अंकित है तथा विचारण न्यायालय के समक्ष साक्षियों के अभिलेखित कथनों के आधार पर आवेदक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 358 के अंतर्गत विचारण का सामना करने हेतु तलब किया गया है।

5. सह-अभियुक्त महावीर एवं रामाशंकर को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा क्रमशः आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-9948 वर्ष 2025 एवं 13588 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 19.01.2026 के माध्यम से पूर्व में ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक एवं अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा कठोर एवं कुंद हथियारों से प्रथम सूचनाकर्ता पक्ष पर हमला किए जाने का आरोप है, जिसके परिणामस्वरूप प्रथम सूचनाकर्ता के भाई तेजेन्द्र को शरीर पर अनेक चोटें आईं तथा उनकी मृत्यु हो गई। आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका आरोपित नहीं की गई है तथा विवेचना उपरांत प्रस्तुत आरोप-पत्र में उसका नाम सम्मिलित नहीं किया गया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा साक्षियों के अभिलेखित कथनों के आधार पर आवेदक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 358 के अंतर्गत विचारण का सामना करने हेतु तलब किया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 21.04.2026 से निरंतर कारागार में निरुद्ध है।

6. वाद के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अभियोग की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्यों तथा अभियुक्त की कथित संलिप्तता पर विचार

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करने के उपरांत, साथ ही विचारणाधीन कारागारों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक वादों की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुए तथा जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो**, वर्ष 2025 ऑनलाइन सर्वोच्च न्यायालय 3038, तथा इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, वर्ष 2024 ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों एवं दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, तथा वाद के गुण-दोष के संबंध में कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

8. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **रूपराम** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन समान धनराशि के दो सक्षम जमानतदारों एवं एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किए जाने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए तथा वह साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/अन्वेषण में पूर्ण सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात् किसी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध में संलिप्त नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।

9. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

10. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक तथा उसके जमानतदारों की पहचान, हैसियत एवं निवास संबंधी अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। साथ

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ही, आवेदक तथा जमानतदारों के मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का भी सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

11. यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विचारण न्यायालय, जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से रिहाई आदेश संबंधित कारागार को प्रेषित करेगा।

12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति **संबंधित कारागार अधीक्षक** के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल के जरिए 24 घंटे के भीतर आवेदक को प्रेषित करना सुनिश्चित करे, ताकि जमानत प्रदान किए जाने संबंधी नीति रणनीति, स्वप्रेरणा से संज्ञानित रिट याचिका (आपराधिक) संख्या-4 सन् 2021 वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2023 को पारित निर्णय, जो (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रकाशित है, का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

दिनांक: 1 जून, 2026

आर.के.एम.

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।